यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नई टिहरी, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नई टिहरी, के माह जुलाई 2016 से अगस्त 2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पुष्पेन्द्र चतुर्वेद्री लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07/09/17 से 19/09/17 तक श्री शशिकांत पाण्डेय लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संतोष गुप्ता एवं श्री सुधीर कुमार स.ले.प.अ. एवं श्री गौरव पंत ले.प. द्वारा दिनांक 12/07/16से 22/07/16 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2014 से 06/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- ग्रामीण विभाग का कार्य यह कि विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य डिपोजिट कार्य के रूप में सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र टिहरी के 29 ब्लॉक हैं।

राजकीय महाविद्यालय घाट, चमोली के अन्तर्गत (तहसील) विकास नगर घाट में स्थित है।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रा. अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अन्तिम अवशेष		अधिक्य (+)	बचत		विवरण स्थापना समर्पित है
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना		स्थापना	गैर स्थापना	
2014-15	--	612.87	144.70	138.74	908.14	903.96	5.97	617.06	--	5.97	617.06	5.97
2015-16	--	617.06	155.25	151.35	1101.85	731.61	3.90	987.30	--	3.90	987.30	3.90
2016-17	--	987.30	172.22	160.26	1114.45	910.18	11.96	1191.58	--	11.96	1191.58	11.96
2017-18	--	1191.58	186.53	85.37	167.28	489.43	100.56	869.42	--	100.56	869.42	--
योग		**3408.81**	**658.70**	**535.72**	**3291.73**	**3035.17**	**122.39**	**3665.36**		**122.39**	**3665.36**	**21.83**

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)
प्रारम्भिक शेष					
वर्ष के दौरान प्राप्तियां (क) केन्द्राशं (ख) राज्यांश (ग) अन्य प्राप्तियां	शून्य				
व्यय					
अंतिम शेष					

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "अ" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नई टिहरी, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 05/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर **01** :- धनराशि **₹ 1.84** करोड़ के चार कार्यो पर केन्द्रीय एस.ओ.आर. **(SOR)** के पुनरीक्षित दर लागू न किया जाना।

मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक दिनांक 605/ग्रा.अ.से./शैडयूल ऑफ रेट्स/2014-15 दिनांक 04 जुलाई 2014 अनुसार, मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्धारित पुनरीक्षित दरें को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में लागू करने हेतु अधिनस्थ समस्त अधिशासी अभिंयता को निर्देशित किया गया था जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु निम्नलिखित SOR's केन्द्रीय SOR की पुनरीक्षित दर को दिनांक 16/05/2014 से लागू किया गया था।

(I) Building works based on CPWD
(II) MORD (Ministry of Rural Development)
(III) MORTH (Ministry of Rural Transportation & Highway)
(IV) Roads and bridges for Uttarakhand

पुनरीक्षित SOR's में श्रमिक संसाधनों, मशीन संसाधनों एवं सामग्री की दरें वर्ष 2014-15 हेतु वर्तमान बाजार दरों के आधार पर पुनरीक्षित की जिसके आधार पर भिन्न-2 Type of Labour के लिए Basic Rate प्रति दिन के लिए अलग-2 निर्धारित की गई तथा पहाड़ी क्षेत्रों मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा मशीन/सामग्री संसाधनों की कार्य क्षमता को देखते हुए मशीन संसाधनों की मूल्य दरों पर Rate Cards हेतु अतिरिक्त इन्डेक्स 33/38 प्रतिशत जनपदानुसार दर निर्धारित किया गया था जिसके अनुसार ही दिनांक 16/05/2014 से वर्ष 2014-15 हेतु SOR की दर को DSR की दर को लागू CPWD (SOR), MORD, MORTH, Roods & bridges for Uttarakhand SOR की दर पर जनपदानुसार अतिरिक्त Index 33 प्रतिशत या 38 प्रतिशत/सम्मिलित कर प्रभावी तिथि 16/05/2014 से निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलन की दरें प्रावधानित कर ग्राहक विभाग से धनराशि प्राप्त की जानी अपेक्षित थी।

प्रखण्डीय कार्यालय के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में सम्प्रेक्षा द्वारा पाया गया कि इकाई कार्यालय टिहरी के अंतर्गत वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान सभी प्रखण्डों में संचालित निर्माण कार्यों (निक्षेप कार्यों) पर केन्द्रीय SOR की पुनरीक्षण दर से अतिरिक्त 33 प्रतिशत इण्डेक्स दर निम्नलिखित कार्यों पर ना तो सम्मिलित किया गया न ही ग्राहक विभाग से प्राक्कलन पुनरीक्षित कर सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर अलग से धनराशि की मांग की गयी थी जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र.सं.	प्रखण्ड का नाम	कार्य का विवरण	अनुमन्य पुनरीक्षण केन्द्रीय	ग्राहक विभाग से बिना **DSR** सम्मिलित किये प्राप्त धनराशि	पुनरीक्षित **DSR** की दर सम्मिलित कर ग्राहक विभाग से प्राप्त होने वाली अपेक्षित धनराशि	कम प्राप्त धनराशि
1.	Tholudhar (2015-16)	Construction of main Building GIC, (2015-16) Mandkhal	Add 33% on base rate	59,14,420	78,66,179	19,51,759
2.	Chamba (2015-16)	Electrification work in I.M.C, I.T.I. at Baurari	Add 33% on base rate	11,27,950	14,90,174	3,72,224
3.	Chamba (2016-17)	Electrification work in Pashu	Add 33% on base rate	84,874	1,12,882	28,008
4.	Pratapagarh (2015-16)	Gramin Motor marg (Jewala) Via Rauniya to Balik School, Syari	Add 33% on base rate	1,12,25,746	1,49,30,580	37,04,580
					कुल योग	**60,56,571**

इस प्रकार लेखापरीक्षित इकाई द्वारा उपरोक्त निर्देशानुसार निर्धारित DSR/SOR पर अतिरिक्त Index Price i.e (33 प्रतिशत) सम्मिलित नहीं कर निक्षेप कार्यों की प्राक्कलन स्वीकृत किये जाने के परिणामस्वरूप इकाई कार्यालय को ग्राहक विभाग से ₹ 60.57 लाख कम धनराशि प्राप्त हुई। जबकि लेखा अभिलेखों की जांच में लेखापरीक्षा द्वारा आगे पाया कि इकाई के अंतर्गत अधिकाश निर्माण कार्यों एवं उनके विद्युतीकरण कार्यों पर केन्द्रीय SOR की पुनरीक्षण DSR द्वारा के तहत अतिरिक्त Index Price (33 प्रतिशत) सम्मिलित कर प्राक्क्लन स्वीकृत कर ग्राहक विभाग से धनराशि प्राप्त की गयी थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपरोक्त निर्माण कार्यों पर निर्धारित पुनरीक्षित केन्द्रीय SOR की दरों पर अतिरिक्त Index Price (33 प्रतिशत) सम्मिलित किया जाना अपेक्षित था जो कि विभाग द्वारा नहीं किया गया परिणामस्वरूप ग्राहक विभाग से ₹ 60.57 लाख कम धनराशि प्राप्त हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगति किये जाने पर अधिशासी अभिंयता द्वारा अपने अनुपालन में बताया गया कि निर्माण कार्यों के लिये धनराशि सीमित होने के कारण निर्माणाधीन विद्युतीकरण कार्यों की मदों में Index Price 33% नहीं जोड़ा गया जबकि आदेशानुसार जोड़ा जाना अपेक्षित था जबकि मोटर मार्ग निर्माण हेतु PWD (SOR)/MORD की दरों के आधार पर आगणन स्वीकृत कर कार्य कराया जा रहा है। इस कारण Index Price 33% नहीं जोड़ा गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा उक्त निर्माण कार्य के अलावा सभी निर्माण कार्यों पर Index Price 33% सम्मिलित कर ग्राहक विभाग से धनराशि प्राप्त की गई है। अतः कोई भी निर्माण या उनके विद्युतीकरण कार्य की मानक दरों पर पुनरीक्षित SOR की दरों पर अतिरिक्त Index Price 33% सम्मिलित कर विभाग द्वारा प्राक्क्लन स्वीकृत कर ग्राहक विभाग से धनराशि प्राप्त की जानी अपेक्षित थी तथा मोटर मार्ग निर्माण हेतु भी उक्त आदेशानुसार PWD(SOR)/MORD की दरों को पुनरीक्षित केन्द्रीय दरों पर अतिरिक्त (33 प्रतिशत) सम्मिलित

कर ग्राहक विभाग से धनराशि प्राप्त की जानी अपेक्षित थी जो कि विभाग द्वारा नहीं किया गया परिणाम स्वरूप पुनरीक्षित केन्द्रीय SOR की दरों को सम्मिलित नहीं किये जाने से विभाग को रू 60.57 लाख की धनराशि कम प्राप्त होने से उस पर प्राप्त होने वाली आकस्मिक निधि ग्राहक विभाग से कम प्राप्त हुई परिणामस्वरूप आकस्मिक निधि से होने वाले कार्यालय व्यय से लेकर संबंधित निर्माण कार्य होने वाले उपरी व्यय प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित होगें।

इस प्रकार, धनराशि ₹ 1.84 करोड़ के चार कार्यों पर केन्द्रीय SOR के पुनरीक्षित दर लागू न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- दो (ब)</u>

प्रस्तर **02** :- विभागीय उदासीनता के चलते ग्राहक विभाग से **₹ 1.26** करोड़ की धनराशि प्राप्त न होना।

मुख्य अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, के पत्रांक दिनांक 20 जुलाई 2017 के द्वारा अपने अधीनस्थ कार्योलयों को निर्देशित किया कि कार्यालय के पूर्व पत्र संख्या 1603 दिनांक 31/08/2016 एवं पत्र संख्या 2595 दिनांक 27/01/2017 के द्वारा संदर्भित विषय को ग्रहण करते हुए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2009-10 से वर्ष 2016-17 तक स्वीकृत निर्माण कार्यों की द्वितीय, तृतीय एवं 10 प्रतिशत अंतिम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने हेतु ग्राहक विभाग (अपर परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यालय) द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर कार्यदायी कार्यालय को निम्नलिखित वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके अंतर्गत उपलब्ध करना।

(अ) स्वीकृत वर्ष 2009-10 से 2016-17 तक निर्मित भवनों की अन्तिम 10 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्रों को प्रखण्डों द्वारा पूर्ण रुपेण भरा जाना अपेक्षित होगा।

(I) एस.ओ.यू. के अनुसार पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से विलम्ब से कार्यपूर्ण होने पर विलम्ब का कारण औचित्य/साक्ष्यसहित, विलम्ब के लिए अर्थदण्ड सहित।

(II) उपयोग प्रमाण पत्र में स्वीकृत धनराशि, अवमुक्त एवं अवशेष धनराशि।

(III) निर्धारित प्रपत्र पर तृतीय पक्ष का सत्यापन।

(IV) तृतीय पक्ष के सत्यापन एवं प्रधानाचार्य के स्तर से भरी जाने वाली चैक लिस्ट में कोई आपत्ति अथवा त्रुटि अपेक्षित की जाती है, तो त्रुटियों/आपत्तियों के निराकरण के उपरांत पुनः तृतीय पक्ष के सत्यापन करने वाले अधिकारी संबंधी प्रमाण पत्र।

(V) भवन निर्माण के दौरान विभिन्न स्तर के फोटो धनराशि अवमुक्त किये जाने की मांग के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

(VI) किश्तों की मांग हेतु प्रस्ताव संबंधित जिला परियोजना अधिकारी के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, रा.मा.शि.अभि., उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया जाना अपेक्षित होगा।

उक्त के अलावा, यह भी निर्देशित किया गया था कि भविष्य में निर्मित होने वाले भवनो के हस्तान्तरण हेतु राज्य परियोजना कार्यालय से अनुमति जारी होने के उपरान्त ही संबंधित प्रधानाचार्यो द्वारा भवनों का अधिग्रहण स्वीकार किया जा सकेगा।

कार्यालय के लेखा अभिलेखों की जांच में सम्प्रेक्षा द्वारा पाया गया कि वर्ष 2009-10 से 2016-17 तक इकाई कार्यालय द्वारा कुल 37 विद्यालयों के तहत, कक्षा/मुख्य भवन/अन्य कक्षों का निर्माण कार्य (निक्षेप कार्यों) के तहत कराया गया जिसके अंतर्गत 27 निर्माणकार्यों को पूर्ण कर ग्राहक विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया था एक कार्य प्रगति पर तथा 09 निर्माण

कार्य पूर्ण किया गया लेकिन अवशेष धनराशि ग्राहक विभाग से प्राप्त न होने से हस्तांतरित नहीं हो पाया था।

अभिलेखों की जांच में आगे पाया कि इकाई कार्यालय द्वारा, ग्राहक विभाग (अपर परियोजना निदेशक, रा.मा.शि.अभि.) द्वारा बताये गये प्रपत्रों को पूर्ण कर निर्धारित औपचारिकताओं को आवश्यक रूप से ग्राहक विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है, ना ही पूर्ण किये निर्माण कार्यों की तृतीय पक्ष का सत्यापन निर्धारित प्रपत्रों पर सत्यापित कर ग्राहक विभाग को प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, रा.मा.शि.अभि के अंतर्गत संचालित विद्यालयों के अंतर्गत निर्मित किये गये मुख्य भवन, कक्षा कक्ष या अन्य निर्माण कार्य, व्यय पूर्ण होने के उपरान्त भी प्राधानाचार्यों के स्तर से भरी जानी चैक लिस्ट में कोई त्रुटि/आपत्ति अंकित होने की दशा में पुन) तृतीय पक्ष से सत्यापित किये प्रमाण पत्रों को भी ग्राहक विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा इकाई कार्यालय द्वारा 37 निर्माण कार्यों में अंकित किश्त की अवशेष धनराशि ग्राहक विभाग से प्राप्त नहीं होने पर भी ग्राहक विभाग को निर्माण भवन हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार, ग्राहक विभाग द्वारा बताये गये निर्देशानुसार प्रपत्रों में वांछित सूचनायें उपलब्ध कराने में विभाग पूर्णतः विफल रहा जो विभागीय उदासनीनता परिलक्षित होता है परिणामस्वरूप इकाई कार्यालय द्वारा वर्ष 2009-10 से 2016-17 तक निर्माण कार्य पूर्ण व हस्तांतरित होने के बावजूद भी अपेक्षित अंतिम किश्त/10 प्रतिशत धनराशि ₹ 1.26 करोड़ ग्राहक विभाग से प्राप्त करने में विभाग विफल रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि रमसा के अंतर्गत निर्माण कार्यों की अंतिम किश्त के भुगतान हेतु प्रपत्र तैयार कर प्रेषित किये गये थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ग्राहक विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों के अनुरूप क्रमवार वांछित सूचना प्रेषित नहीं किये गये थे तथा इकाई कार्यालय द्वारा ग्राहक विभाग को उपलब्ध कराये गये पूर्ण एवं हस्तांतरित निर्माण कार्य की वांछित समस्त औपचारिकताएँ प्रपत्रों की एक भी छायाप्रति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया ना ही मुख्य अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग दवारा ग्राहक विभाग (रमसा) से अवशेष धनराशि अवमुक्त हेतु कोई ठोस कार्यवाही सुनिश्चित किया गया जो कि विभागीय उदासीनता के द्योतक है परिणामस्थल पूर्ण/हस्तांतरित कार्यों के सापेक्ष अंतिम किश्त की धनराशि ₹ 1.26 करोड़ ग्राहक विभाग से प्राप्त नहीं हो सकी।

इस प्रकार, विभागीय उदासीनता के चलते ग्राहक विभाग से ₹ 1.26 करोड़ की धनराशि प्राप्त न होने के प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- दो (ब)</u>

प्रस्तर **03** :- वर्क आयटम के दरों के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के फलस्वरूप **₹ 37456.00** की राजस्व क्षति।

कार्यालय अधिसासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड नई टिहरी के निर्माण अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि प्रधानाचार्य/सचिव आई.एम.सी., रा0औ0 प्रशि0 संस्थान बौराड़ी नई टिहरी के पत्रांक 441/कार्यशाला निर्माण/बौराड़ी/2015 दिनांक 09/09/2015 के अनुसार (Construction of workshops Building IMC Govt. ITI, Bauradi New Tehri हेतु सम्बन्धित समिति द्वारा ₹ 88.55 लाख के भुगतान के लिये स्वीकृति प्रदान की गई। तदुपरान्त दिनांक 09/09/2015 को प्रधानाचार्य और अधिशासी अभियंता के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। पुनः अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग परिमण्डल देहरादून के द्वारा आमंत्रित निविदा के आधार पर निविदा मूल्य ₹ 75.75 लाख के सापेक्ष चयनित ठेकेदार श्री खालिद हसन के साथ ₹ 6588754/- का अनुबन्ध हस्ताक्षरित हुआ और कार्य प्रारम्भ करने और समाप्त करने की निर्धारित तिथि क्रमशः 20/11/2015 एवं 19/11/2016 थी।

आगणन की जांच एवं अनुबन्ध के प्रपत्र Schedule-B की जाँच से स्पष्ट हुआ कि विभाग द्वारा अंगीकार किये गये शेड्यूल ऑफ रेट्स DSR उल्लिखित दरों और आगणन एवं शेड्यूल-B के निम्नलिखित आयटम की दरों में अत्यधिक अन्तर था। यथार्थ में, विभाग द्वारा जिन दरों को Schedule-B (for some items) में उल्लिखित किया गया और उन्ही के अनुसार भुगतान किया गया तो DSR की दरों से अधिक थे। स्पश्टतया विभाग की इस कृत्य के कारण निम्नानुसार ₹ 37,456/- की शासकीय क्षति हुई।

Chapter Name	Item's Description on	DSR Rates (Actual)	Rates shoon as DSR rates in Estimate & Schedule-B of Bond	Rate after adding 33% As indes as per dptt	Deptt's Remark
6.2.2 6.4.2.	Brickwork with FPS briks of class designation 75 in foundation and plinth in cement mortor 1:6 Brick work with FPS bricks of class designation 75 in super structure above plinth level upto floor V level in all shape.	4541.05 Cum 5426.25 Cum	4667.25 Cum 5560.40 Cum	6220.74 Cum 7395.33 Cum	आगणन में BOR में 6.1.2 के स्थान पर 6.2.2 अंकित हो गया है जबकि कार्यस्थल पर मद संख्या 6.1.2 के अनुरूप ही कार्य करवाया गया एवं उसी के अनुरूप भुगतान कराया जा रहा है। 6.4.2 के आगणन में अंकित दरों की संसोधित करने के उपरान्त अन्तिम भुगतान में समायोजन किया जा रहा है।
Items in which SOR rates were taken					
16.3	RR masonary laid dry in breast wall retaining wall, parapits, sapper etc inclvding supply of all materials labours, T&P& royalty etc required for porper completion of work as per PWD uttarakhand specification	1831.50 Cum	2435.90 Cum		कार्यस्थल पर आवस्यकता नही होने पर यह कार्य नही कराया गया है जिस कारण उक्त मद का भुगतान ठेकेदार को नही किया जा रहा है। जिससे शासकीय क्षति नही हुई है। यदि भुगतान किया जाना आवश्यक होगा तो

16.5	RR stone masonery laid in 1:6 Cum cement and sand mortor, in breast walls, retaining walls parapet supper etc including supply of all material labour T&P and royalties etc as per PWD Spectifications)	2868.10 Cum	3814.57 Cum		प्राक्कलन की दरों को संसोधित करने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा।

उल्लेखित है कि ठेकेदार श्री खालिद हसन की निविदा विभागीय आगणन से 12.40% कम होने के कारण स्वीकार की गयी थी। तद्नुसार शासकीय क्षति का आगणन निम्नानुसार है।

(A) Chapter 6.2.2.

Excess Difference in rate = (4667.25-4541.05)*133% (rate index) = 167.85
Excess estimate = Qty*rate=49.96*167.85=8385.7
Excess payment made=7345.9 (less by 12.40%)

(B) Chapter 6.4.2.

Excess difference in rate = (5560.40-5426.25)*133% (rate index) = 178.41
Excess estimate = 178.41*98.78=17623.3
Excess payment made (less by 12.40%) = 17623.3*87.60%=15438.04

(C) Chapter 16.3

Excess difference in rate = (2435.90-1831.50) = 604.4
Excess Estimation = Qty*rate in excess = 10.80*604.4=6527.52
Excess payment = 6527.52*87.60% = 5718.10

(D) Chapter 16.5

Excess difference in rate = (3814.57-2868.10) = 946.47
Excess Estimation = Qty*rate in excess = 10.80*946.47 = 10221.87
Excess payment = 10221.87*87.60% = 8954.36
Total Excess payment- =7345.9+15438.04+5718.10+8954.36=₹ 37456.00

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने उपरोक्तानुसार उत्तर दिया।

विभागीय उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि Chapter No's 6.2.2.&6.4.2. के प्रकरण में विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी MB की फोटो प्रति के अनुसार Schedule-B में उल्लिखित विवरण के अनुसार माप एवं भुगतान किया गया है यद्पि विभाग द्वारा सम्पूर्ण माप एवं Abstract एवं भुगतान (As per MB) की फोटो प्रतियां उपलब्ध नही करायी गयी। पुनः Chapter No's 16.3&16.5 के प्रकरण में विभागीय उत्तर विरोदाभासी एवं साक्ष्यरहित है। Aug 2017 में MPR से यह भी स्पष्ट है कि कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- दो (ब)</u>

प्रस्तर **04** :- प्राप्त अग्रिम **₹ 59698/-** का समायोजन न किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता RES New Tehri के अग्रिम पंजिका के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गाय कि निम्नलिखित कर्मचारियों/अधिकारियों के सापेक्ष प्राप्त अग्रिम धनराशि का 31 वर्षो से समायोजन लंबित है। जिनका विवरण निम्नवत है।

वर्ष	नाम/पद	लंबित धनराशि
05/1986	श्री अबरार अहमद (अपर अभियंता)	₹ 8577/-
02/1989	मैस. स्टील अथारिटी ऑफ India L.t.d. गाजियाबाद	₹ 45169/-
09/1989	श्री एच.एस.रावत (ठेकेदार)	₹ 5952/-
कुल राशि		**₹ 59698/-**

इकाई कार्यालय द्वारा न तो उक्त कर्मचारियों के विरूद्ध न तो कोई ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की गई न ही लंबित धनराशि की सक्षम अधिकारी द्वारा संस्तुति ले कर Write off की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी।

यदि उक्त धन का समायोजन किया जाना सम्भव नही हो तो उक्त धन को इकाई द्वारा Write off करने हेतु उचित कार्यवाही की जाए।

लेखा परीक्षा में इंगति किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि सम्बन्धित प्रकरण काफी पुराने हैं। वर्तमान से सम्बन्धित फर्म व्यक्तियों के नाम पते सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नही है। नाम पते के सम्बन्ध में प्रयास करने के उपरान्त पत्राचार किया जायेगा।

विभागीय उत्तर लेखा परीक्षा आपत्ति उचित कार्यवाही हेतु विभागयी उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- दो (ब)</u>

प्रस्तर **05** :- निष्प्रयोजन सामग्री **(Value of 1,91,445/-)** की नीलामी न किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता RWD नई टिहरी उपखण्ड कार्यालय तपोवन ऋषिकेश के सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कार्यालय में निष्प्रयोज्य पड़ी Electronic सामाग्रियों जो कि टूटी फूटी हालत में स्टोर में पड़ी है जिनकी नीलामी अपेक्षित है जिसका विवरण निम्नवत है।-

Sr.No	Items	No's	Rate	Amount
1.	फोटो स्टेट मशीन तोशीबा मेक	01	72900/-	72900/-
2.	डिजिटल कैमरा सोनीमेक	02	11450/-	22900/-
3.	Stabilizer 2 KBA Photo स्टेट मशीन हेतु	01		
4.	फैक्स मशीन Panasonic make	01	5646/-	5646/-
5.	LVT 150 VA फैक्स मशीन हेतु	01		
6.	Computer Monitor 15"	01	29650/-	29650/-
7.	कोनिका मिनाल्ट सेजर प्रिंटर	01	7500/-	7500/-
8.	Computer Monitor 17" CRT	01	28163/-	28163/-
9.	UPS 600 VA	01	2250/-	2250/-
10.	TV Tuner inter make	01	950/-	950/-
11.	टाइपराइटर हिन्दी	04	4502/-	4*4502=18008/-
12.	टाइपराइटर English	01	3328/-	3328/-
13.	टेलीफोन आपरेटर मेड	01	150/-	150/-
14.	वोल्टेज ट्रेकर	01	--	--
कुल धनराशि				**1,91,445/-**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि इस कार्यालय द्वारा नीलामी हेतु निर्धारित प्रारूप पत्र पर सर्वे रिपोर्ट तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति हेतु या अनुमति हेतु प्रेषित किया गया था।

लेखा परीक्षा में इंगति किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि उक्त अधिकारियों से स्वीकृति के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी तथा बिन्दु 4 के सापेक्ष में उत्तर दिया गया कि TA Bill/Voucher प्रस्तुत/वर्णित दोनो अधि0/कर्म का प्रखण्ड हरिद्वार से प्रखण्ड टिहरी स्थानान्तरण यात्रा भत्ता दिया गया है जिसके Document सम्प्रेक्षा दल को उपलब्ध नही कराये गये है।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- दो (ब)</u>

प्रस्तर **06** :- सेन्टेज प्रभार की कटौती/जमा नही किये जाने के कारण **₹ 10.83** लाख की शासकीय क्षति।

As per para 306 read with annexure-D of FHB- volume V the percentage charges shall be levied on all classes of contributions works undertaken by the PWD and Irrigation deptt. on behalf of commercial departments local and Pvt Boodies and Pvt. person in this state.

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी शा0 स0-163/XXVII/(7)/2008 दिनांक 22.05.20008 के द्वारा प्रति प्रभारों की दर निम्नानुसार नियत की गयी है।

- एक करोड़ की लागत तक के कार्यों हेतु - 10%
- एक करोड़ की अधिक परंतु पाँच करोड़ की लागत तक - 9%
- पाँच करोड़ से अधिक लागत के कार्यो हेतु - 8%

प्रखण्ड के माह आगस्त 2017 के मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार THDC, India Ltd कोटेश्वर डिपॉजिट वर्क के आधारा पर प्रखण्ड द्वारा निम्नलिखित 10 कार्य कराये जा रहे थे। परन्तु अभिलेखों की जाँच से स्पष्ट हुआ कि प्रखण्ड द्वारा सेन्टेज प्रभार की कटौती कर शासकीय कोष में जमा नही किया जा रहा था।

A नैचाली से फिफाल्टी गाँव तक मार्ग निर्माण (Centage @ 10%=147800.12)

B काण्डाखेत मुख्यमार्ग कुरगोली से कस्फी तक (Centage @ 10%=95643.16)

C जीरो ब्रिज से महड गाँव तक क्षतिग्रस्त लगभग 800 मी पैदल मार्ग को सीसी खंडजा से पक्का किया जाना (Centage @ 10%=116065.00)

D नैल गाँव तोक से पीपल डाली से डिग्गी तोडिया घाट बेसिक स्कूल तक मार्ग निर्माण (Centage @ 10%=181417.97)

यह भी उल्लेखनीय है कि THDC कोटेश्वर के कुल 10 कार्यों में से उपरोक्त के अलावा 6 अन्य कार्य में सेन्टेज प्रभार तो काटा भी नही गया था।

लेखापरीक्षा में इंगति किये जाने पर विभागीय ने उत्तर दिया कि सेन्टेज प्रभार नियमानुसार जमा कर दिया जायेगा।

विभागीय आख्या लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वयं पुष्टि करती है।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	स्टेन
01/2003-04			01
19/2004-05		01	
60/2005-06	01	01,02,	
13/2010-11		1,2,3,	
07/2014-15		1,2,3,4,	
44/2016-17		1,2,3,	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनुपालन आख्या इकाई द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।				

भाग-IV

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

<u>भाग-V</u>

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नई टिहरी, तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) Running Bill/Voucher
(II) Sanctioned orders pertaining to various Constructions works
(III) Guard Files
(IV) Third party inspection Reports
(V) Performance Security Add/Performance security register
(VI) Mou Register
(VII) TA Bill/Voucher
(VIII) Some Photocopies of the MOB of ITI Bauradi

3. सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री तेजपाल	अधिशासी अभियंता	08.04.16 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नई टिहरी, को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.